न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः- राजेन्द्र कुमार, आरजेएस,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या - 107/2018

CNR Number - **RJPL010009852018**

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

बनाम

बीजाराम पुत्र भगवानराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी- मांडावास थाना रोहट, जिला पाली (राज.)

.......अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता एवं 4/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थितः-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित लोक अभियोजक।
2. श्री रामलाल भाटी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

निर्णय

दिनांकः- 11.06.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी अचलाराम ने दिनांक 17.03.2018 को उपस्थित पुलिस थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके पिताजी ग्राम माण्डावास में निवासरत है, दिनांक 16.03.2018 को शाम करीब 06.00 एवं 6.30 के बीच प्रतिदिन की भांति उसके घर से सटे हुए भैरू जी महाराज को दीया बाती जला रहे थे तब आरोपी बींजाराम पुत्र भगवान राम, निवासी माण्डावास द्वारा मौका पाकर धारदार चाकू से उसके पिताजी दुदाराम पर ताबड़-तोड़ जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसके पिताजी दुदाराम गंभीर रूप से घायल हो गये, उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें निजी वाहन से परिवार के सदस्यों द्वारा आर्मी हॉस्पीटल जोधपुर में भर्ती करवाया गया, जहां सेना के नियमानुसार नामजद एफ.आई.आर दर्ज करवाई जा चुकी है। आरोपी द्वारा पूर्व में भी उसके पिताजी दुदाराम को झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर मानसिक

रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी द्वारा वारदात में इस्तेमाल चाकू को घटनास्थल पर श्री दुदाराम के शरीर में ही छोड़कर ही भाग गया। इस दौरान आरोपी द्वारा पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बनाया एवं गाली-गलौच करता रहा.......आदि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना संख्या **63/2018** पुलिस थाना **रोहट**, जिला पाली में अपराध अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त बींजाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 307 भा.द.स. एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र दिनांक 24.05.2018 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली के समक्ष पेश किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को कमिट किया जो इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 06.06.2018 को दर्ज किया गया।

2. प्रकरण में दिनांक 30.08.2018 को बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. एवं 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप विरचित करने का पृथक से आदेश पारित कर आरोप सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध करने से इंकार करते हुए अन्वीक्षा चाही।

3. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में कुल 18 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया। जो निम्नांकित हैः-

पीडब्लू संख्या	गवाहान का नाम	पीडब्लू संख्या	गवाहान का नाम
1.	दुदाराम	10.	सायरमल
2.	पोकरराम	11.	दिनेश कुमार
3.	केवलराम	12.	सुरेन्द्र कुमार
4.	अचलाराम	13.	मोरकी
5.	गुणेशराम	14.	रघुवीरसिंह
6.	बाबुलाल	15.	डॉ. इमरान खिलेरी
7.	पप्पुराम	16.	जमना बाई
8.	अमराराम	17.	डॉ. अमूल गुप्ता
9.	नीतीश	18.	हुकमगिरी

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नांकित साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गयेः-

<table>
<tr><th>क्रं. सं.</th><th>प्रदर्श संख्या</th><th>विवरण</th><th>गवाह संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>प्रदर्श पी 1</td><td>नक्शा मौका</td><td>पी.ड. 2 पोकरराम, पी.ड. 3 केवलराम, पी.ड. 5 गुणेशराम, पी.ड. 18 हुकमगिरी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रदर्श पी 2</td><td>फर्द बरामदगी धारदार चाकू</td><td rowspan="4">पी.ड. 2 पोकरराम, पी.ड. 5 गुणेशराम, पी.ड. 18 हुकमगिरी</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>प्रदर्श पी 3</td><td>फर्द खून आलूदा सीमेंट मिट्टी व फर्श का सीमेंट कंक्रीट</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रदर्श पी 4</td><td>फर्द खून आलूदा सादा कंक्रीट व सीमेंट</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रदर्श पी 5</td><td>घटना स्थल सीमेंट के फर्श पर गिरा मजरूब की खून बरामदगी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>प्रदर्श पी 6</td><td>पुलिस बयान केवलराम</td><td>पी.ड. 3 केवलराम</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>प्रदर्श पी 7</td><td>एफआईआर</td><td>पी.ड. 4 अचलाराम, पी.ड. 18 हुकमगिरी</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>प्रदर्श पी 8</td><td>फर्द तस्दीक घटना स्थल</td><td>पी.ड. 6 बाबुलाल, 10 सायरमल, पी.ड. 18 हुकमगिरी</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>प्रदर्श पी 9</td><td>फर्द बरामदगी स्थल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल</td><td>पी.ड. 6 बाबुलाल, पी.ड. 10 सायरमल</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>प्रदर्श पी 10</td><td>पुलिस बयान अमराराम</td><td>पी.ड. 08 अमराराम</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>प्रदर्श पी 11</td><td>फर्द गिरफतारी बीजाराम</td><td rowspan="2">पी.ड. 09 नीतीश, पी.ड. 12 सुरेन्द्र कुमार, पी.ड. 18 हुकमगिरी</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>प्रदर्श पी 12</td><td>फर्द जब्ती शर्ट</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>प्रदर्श पी 13</td><td>फर्द जब्ती मोटरसाइकिल</td><td>पी.ड. 10 सायरमल, पी.ड. 18 हुकमगिरी</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>प्रदर्श पी 14</td><td>रोड सर्टिफिकेट</td><td rowspan="2">पी.ड. 11 दिनेश कुमार, पी.ड. 12 सुरेन्द्र कुमार, पी.ड. 14 रघुवीरसिंह, पी.ड. 18 हुकमगिरी</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>प्रदर्श पी 15</td><td>पुलिस थाना रोहट का अग्रेषण पत्र</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>प्रदर्श पी 16</td><td>एसपी आफिस का अग्रेषण पत्र</td><td>पी.ड. 11 दिनेश कुमार, पी.ड. 12 सुरेन्द्र कुमार, पी.ड. 14 रघुवीरसिंह</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>प्रदर्श पी 17</td><td>एफएस एल जोधपुर की प्राप्ति</td><td>पी.ड. 11 दिनेश कुमार, पी.ड.</td></tr>
</table>

		रसीद	12 सुरेन्द्र कुमार, पी.ड. 14 रघुवीरसिंह, पी.ड. 18 हुकमगिरी
18.	प्रदर्श पी 18	पुलिस बयान मोरकी	पी.ड. 13 मोरकी
19.	प्रदर्श पी 19 व 20	मजरूब दूदाराम के खून सैंपल की प्रमाणित प्रतिलिपि	पी.ड. 15 डॉ इमरान खिलेरी, पी.ड. 18 हुकमगिरी
20.	प्रदर्श पी 21	पुलिस बयान जमनाबाई	पी.ड. 16 जमनाबाई
21.	प्रदर्श पी 22	मालखाना रजिस्टर की प्रति	पी.ड. 14 रघुवीरसिंह, पी.ड. 18 हुकमगिरी
22.	प्रदर्श पी 23	मजरूब दूदाराम की इंजरी रिपोर्ट	पी.ड. 17 डॉ अमूल गुप्ता, पी.ड. 18 हुकमगिरी
23.	प्रदर्श पी 24	मजरूब दूदाराम के अस्पताल में भर्ती होने की पर्ची	
24.	प्रदर्श पी 25	मजरूब दूदाराम की एडमिशन स्लीप	
25.	प्रदर्श पी 26	मजरूब दूदाराम की डिस्चार्ज स्लीप	
26.	प्रदर्श पी 27	मेडिकल केस शीट	
27.	प्रदर्श पी 28 ता 35	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स	पी.ड. 18 हुकमगिरी
28.	प्रदर्श पी 36	फर्द इत्तिला धारा 27 मुलजिमान बीजाराम द्वारा घटना स्थल की तस्दीक बाबत	
29.	प्रदर्श पी 37	फर्द इत्तिला धारा 27 मुलजिमान बीजाराम द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बाबत	
30.	प्रदर्श पी 38	नमूना सील	
31.	प्रदर्श पी 39	चाक एफआईआर	
32.	प्रदर्श पी 40	एफएसएल रिपोर्ट	

4. अभियुक्त ने अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में अभियोजन साक्ष्य को गलत एवं स्वयं को निर्दोष होना बताया हैं। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 01 पुलिस बयान दूदाराम, प्रदर्श डी 02 पुलिस बयान पोकरराम एवं प्रदर्श डी 04 पुलिस बयान अचलाराम को प्रदर्शित करवाया गया।

5. हमने बहस अंतिम सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा आहत के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है तथा न ही अभियुक्त ने किसी अवैध हथियार अथवा चाकू को अपने कब्जे में रखकर आहत की हत्या करने के आशय से उस पर कोई हमला किया है। प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह पीडब्लू-03 केवलाराम, पीडब्लू-08 अमराराम, पीडब्लू-13 मोरकी तथा पीडब्लू-16 जमनाबाई अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हुए पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिससे अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होता है। घटना से पूर्व परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त के पुत्र सायरराम, पप्पाराम तथा भगवानाराम की पत्नी के साथ मारपीट की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप भगवानाराम की पत्नी को गंभीर चोटें आई थीं। उक्त घटना के संबंध में रोहट थाने में कार्यवाही की गई तथा दोनों पक्षों को शांति एवं सदाचार बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं पीडब्लू-01 दूदाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व से वैमनस्य एवं रंजिश विद्यमान थी। तत्पश्चात अभियुक्त को झूठा फँसाने के उद्देश्य से यह झूठा एवं मनगढ़ंत प्रकरण दर्ज कराया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन ऐसा कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय एवं निष्कलंक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जो अभियुक्त को आरोपित अपराध से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ सके। अभियोजन की कहानी संदेहों, विरोधाभासों एवं अप्रमाणित तथ्यों पर आधारित प्रतीत होती है। हस्तगत प्रकरण के अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ती हो। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नाकिंत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः-

(1) Kallu & Anr. Vs State of Rajasthan [2023(3) CJ(Cri) (Raj) 1794]

(2) Pappu Vs State of Rajasthan [2024(1) CJ(Cri) (Raj.) 508]

(3) Narendra Kumar Vs State of Rajsthan [2021(1) CJ(Cri) (Raj.) 13]

(4) Kalu Ram Vs State of Rajsthan [2024(3) CJ(Cri) (Raj.) 1376]

(5) State of Rajsthan Vs Hari Shankar @ Mulya & Anr. [2024(1) RLW 351 (Raj)]

6. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का यह तर्क रहा कि अभियुक्त ने आहत दूदराम की हत्या कारित करने के आशय से उस पर चाकू से हमला कर चोटें कारित की हैं। स्वयं आहत दूदाराम सहित अन्य

गवाहों ने अपने बयानों में पूर्ण रूप से अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। मात्र कुछ गवाहों के पक्षद्रोही होने से अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। अतः प्रकरण में प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होते हैं, जिससे अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सस्म्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिंदु ये हैं किः-

> ***"(1) क्या आपने दिनांक 16-03-2018 को शाम करीबन 06.00-06.30 बजे के मध्य ग्राम मांडावास, तहसील रोहट में आए हुए मजरूब दूदाराम के घर के पास उसकी हत्या करने के आशय से उसके पेट इत्यादि स्थानों पर चाकू से इन परिस्थितियों में अनेक वार किए जिनसे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध में दोषी होते?***
>
> ***(2) क्या आपने एक चाकू जिसके फल की लंबाई 7.5 ईंच व चौड़ाई 2 सेमी थी, अपने आधिपत्य में रखकर मजरूब दूदाराम के साथ मारपीट की व उक्त चाकू को मजरूब के पेट में डालकर भाग गये, जिसे अपने आधिपत्य में रखने एवं परिवहन करने का आपके पास वैध अनुज्ञ पत्र व लाईसेंस नहीं था?***
>
> ***(3) यदि हां, तो उचित दण्ड क्या है"***

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 307 भा.दं.सं.** के संदर्भ में प्रतिपादित उपरोक्त अवधारणीय बिंदु संख्या 01, जिसमें उन्हें यह साबित करना था कि क्या अभियुक्त बींजाराम ने दिनांक 16.03.2018 को शाम करीबन 6-6:30 बजे के मध्य ग्राम मांडावास, तहसील रोहट में आए हुए मजरूब दूदाराम के घर के पास उसकी हत्या करने के आशय से उसके पेट इत्यादि स्थानों पर चाकू से इन परिस्थितियों में अनेक वार किए जिनसे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध में दोषी होते, को अभियुक्त के विरुद्ध साबित करने के लिए कुल 18 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से **मुख्य गवाह मजरूब पीडब्लू 01 दूदाराम, परिवादी पीडब्लू 04 अचलाराम व अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्लू 02 पोकरराम, पीडब्लू 03 केवलराम, पीडब्लू 06 बाबुलाल तथा पीडब्लू 07 पप्पुराम है।**

मजरूब पीडब्लू 01 दूदाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह शाम को लगभग 6 बजे अपने गावं में भैरूजी के मंदिर में सेवा करने के लिए जा रहा था। तब उसके गांव का ही बींजाराम आया और आते ही चाकू से उसके ऊपर 4-5 वार किए, जिससे उसके पेट, बगल एवं पसलियो पर चोटें आयीं। वह बेहोश हो गया फिर उसे सैनिक अस्पताल में ले गए। बींजाराम को उसने पूर्व में गाली गलौच नहीं करने हेतु कहा था, इसी वजह से उसने उसके साथ मारपीट की। बींजाराम ने उसे जान से मारने की नीयत से वार किये थे। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह कथन किए हैं कि आर्मी अस्पताल में वह 15 दिन भर्ती रहा था तथा बाद में 24 दिन भर्ती रहा था। पहली बार भर्ती करवाया तब उसके साथ उसके चारों पुत्र थे। उसके घर के बाहर भैरूजी के मंदिर के तीन ओर लोहे की जाली लगी हुई है। यह कथन गलत होना बताया है कि बींजाराम नारियल चढ़ाने के लिए आया तब उसने उसे गाली-गलौच कर निकला हो तथा बींजाराम के साथ उसने, उसके पुत्र सायरराम, पप्पाराम व अन्य 10-12 जनों ने मारपीट की हो। यह तथ्य भी अस्वीकार किया कि धक्का-मुक्की के समय वह मंदिर की जाली पर गिर गया, जिससे उसके चोट लगी हो। यह स्वीकार किया कि उसे रोहट थाने में एसडीएम ने शांति व्यवस्था में पाबंद किया था, जिसके विरुद्ध उसने कोई कार्यवाही नहीं की।

प्रकरण में **रिपोर्टकर्ता/परिवादी पीडब्लू 04 अचलाराम** (आहत दूदाराम का पुत्र) ने अपने मुख्य परीक्षण में कि उसके पास उसके भाई हजारीमल का फोन आया था और बताया कि गांव में पिताजी दूदाराम के साथ पड़ोस में रहने वाले बींजाराम ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। फिर उसने सीधे जोधपुर आर्मी अस्पताल में जाने की सलाह दी। मारपीट के समय किसने बीच-बचाव कर छुड़ाया उसे जानकारी नहीं है। दूसरे दिन 17 तारीख को वह सुबह सैनिक अस्पताल जोधपुर पहुंचा था। उसने 7 दिन बाद देखा कि उनके दोनों तरफ पसलियों में कुल तीन घाव थे। उसकी पिताजी से कोई बात नहीं है, वे हाथ से इशारा कर रहे थे। वह जिस दिन जोधपुर पहुंचा उसी दिन जोधपुर से रोहट पुलिस थाना रिपोर्ट करवाने पहुंचा था। उसके साथ उसका भाई हजारीमल था। उसने थाने में सूचना दी तब थाने पर बींजाराम पहले से पुलिस की देखरेख में था। उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 पेश की थी। वह बींजाराम को जानता है, जिसने बिना किसी कारण उसके पिताजी के साथ मारपीट की। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किए कि प्रदर्श पी 07 रिपोर्ट उसने रोहट थाने में बोलकर लिखवाई थी, जो किसी टाइपिस्ट से बाहर टाइप करवाई थी। यह स्वीकार किया कि

प्रदर्श पी 07 में यह नहीं लिखा है कि हजारीमल और केवलराम दोनों ने उसे फोन किया था। यह भी स्वीकार किया कि सेना की एफआईआर पत्रावली पर नहीं है। यह भी स्वीकार किया कि एफआईआर प्रदर्श पी 07 में पिताजी के सीने में चोट लगने की बात नहीं लिखी है, क्योंकि उसने लगभग 9 दिन बाद सीने में घाव देखे थे।

महत्वपूर्ण गवाहान, पीडब्लू 02 पोकरराम ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि मार्च 2018 में शाम के 6 बजे वह घर पर था, तब मोहल्ले से जोर-जारे से आवाज आ रही थी। वह दूदाराम के घर के आगे गया तो वहां पर बहुत भीड़ थी और 4-5 जने दूदाराम को पकड़े हुए बैठे थे। वहां पर दूदारान खून से लथपथ पड़े हुए थे। दूदाराम को केवलराम, उनकी पत्नी जमना देवी, मोरी देवी, सायर संभाल रहे थे। उसने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि बींजाराम ने चाकू से दूदाराम पर हमला कर दिया है। बींजाराम को वह जानता है जो हाजिर अदालत है। दूसरे दिन पुलिस मौके पर आई और नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया। खून आलूंदा सीमेंट मिट्टी की फर्द प्रदर्श पी 03 व सादा कंकरीट व सीमेंट की फर्द प्रदरश् पी 04 है। मजरूब का खून बरामदगी प्रदर्श पी 05 है। उसके सामने घटनास्थल के फोटोग्राफ लिए गए थे। **प्रतिपरीक्षण** में कथन किए कि घटना स्थल पर वह गया तब पहले से बहुत भीड़ थी। दूदाराम को लेकर केवलराम, सायर, मोरीदेवी व उनकी पत्नी जमना देवी पास में खड़ी थी। यह स्वीकार किया कि उसने बींजाराम को दूदाराम के चाकू मारते हुए नहीं देखा था। उसे तो वहां मौजूदा लोगों ने चाकू मारने की बात कही थी। इसी प्रकार **पीडब्लू 06 बाबुलाल** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह अपने काम से वापस घर आ रहा था तो उसने देखा कि दूदाराम बेहोशे पड़े थे, जिनके पेट, छाती तथा पीछे कमर पर चोटें लगी हुई थीं। वह मौके पर गया तो लोग कह रहे थे कि बींजाराम ने चाकू मारा था। दूदाराम का शरीर खून से भरा हुआ था। बींजाराम मौके से भाग गया था। दूदाराम के बींजाराम ने चाकू की चोट मारी थी। बींजाराम ने जिस चाकू से मारा था, वह उसने देखा था जो बड़ा था तथा पीछे से पकड़ने का हत्था भी था। वह जब घटनास्थल पर जा रहा था तो बींजाराम बस स्टेण्ड के पास मिला तो शराब पीया हुआ पड़ा था। बींजाराम तथा दूदाराम के बीच में गवाही को लेकर कोई विवाद चल रहा था, इस वजह से बींजाराम ने दूदाराम को जाने से मारने की नीयत से चाकू से वार किया था। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 उसके सामने बनाया था। पुलिस ने घटनास्थल से बींजाराम की मोटरसाइकिल जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 09 के जब्त की। घटनास्थल पर

पुलिस ने फोटोग्राफ भी खींचे थे। **प्रतिपरीक्षण** में कथन किए कि वह घटनास्थल पर गया तब 6-7 जने थे, जिनमें केवलराम, जमना, लहरी तथा अन्य भी थे। घटनास्थल पर सबसे पहले केवलरामजी पहुंचे थे। घटना के 10 मिनट बाद वह मौके पर पहुंच गया था। मौके पर पुलिस उसके जाने के लगभग आधे घण्टे बाद आई थी। यह स्वीकार किया कि उसके सामने मुलजिम ने दूदाराम के चाकू नहीं मारा था। यह भी स्वीकार किया कि घटना के दिन ही पुलिस ने मौके पर फर्दों पर हस्ताक्षर करवाए थे। इसी प्रकार **पीडब्लू 07 पप्पुराम** ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह मजदूरी करके अपने घर जा रहा था। दूदाराम के घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, तब वह भी मौके पर गया था। मौके पर जाकर देखा कि दूदाराम के सारे कपड़े खून से भरे हुए थे तथा दूदाराम जमीन पर पड़े थे। मौके पर केवलराम, जमनी देवी तथा बाबुलाल, सारयमल तथा अन्य लोग थे। दूदाराम के पास जमीन पर एक चाकू पड़ा था। चाकू बींजाराम ने मारा था। वह मौके पर गया तब बींजाराम मौके से फरार हो गया था। वह तथा बाबूलाल बस स्टेण्ड पर गए तब सार्वजनिक शौचालय के पास बींजाराम की मोटरसाइकिल नीचे गिरी पड़ी थी। बींजाराम भी मोटरसाइकिल के पास गिरा था। बींजाराम तथा दूदाराम के बीच में गवाही देने की बात को लेकर विवाद हुआ था, इसी वजह से बींजाराम ने जान से मारने की नीयत से दूदाराम पर हमला किया था। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह स्वीकार किया कि बींजाराम के द्वारा दूदाराम के चाकू मारते हुए उसने नहीं देखा था। वह मौके पर पहुंचा तब मौके पर उपस्थित लोगों ने उक्त बात उसे बताई थी।

इस प्रकार उपरोक्त आहत, परिवादी तथा अन्य महत्वपूर्ण गवाहों की साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मजरूब पीडब्लू 01 दूदाराम ने अभियुक्त बींजाराम द्वारा चाकू से वार किए जाने की घटना का प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया है तथा उसकी साक्ष्य में घटना के मूल स्वरूप के संबंध में कोई ऐसी महत्वपूर्ण विसंगति परिलक्षित नहीं होती है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उसकी इस मुख्य बात को खण्डित नहीं किया जा सका कि उसे गंभीर चोटें आई थीं तथा उक्त चोटें घटना स्थल पर ही लगी थीं। जहाँ तक पीडब्लू 02 पोकरराम, पीडब्लू 06 बाबूलाल एवं पीडब्लू 07 पप्पुराम का प्रश्न है, उन्होंने अभियुक्त को चोट पहुँचाते हुए प्रत्यक्ष नहीं देखा है, परन्तु सभी गवाह घटना के तुरन्त बाद घटनास्थल पर पहुँचे तथा उन्होंने दूदाराम को गंभीर रूप से घायल एवं रक्तरंजित अवस्था में पाया। इन

गवाहों के कथनों से यह तथ्य पुष्ट होता है कि घटना वास्तव में घटित हुई थी तथा दूदाराम को गंभीर चोटें आई थीं। यद्यपि अभियुक्त द्वारा चाकू मारने के संबंध में इन गवाहों की जानकारी मुख्यतः घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी, तथापि उनकी साक्ष्य घटना के पश्चात की परिस्थितियों (circumstantial corroboration) के रूप में अभियोजन संस्करण को समर्थन प्रदान करती है। परिवादी पीडब्लू 04 अचलाराम घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, उसने घटना के बाद प्राप्त सूचना, घायल की स्थिति तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, जिनसे अभियोजन कथा को समर्थन प्राप्त होता है। उसकी साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना के उपरान्त घायल को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध घटना के दूसरे दिन ही दिनांक 17.03.2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। साथ ही यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि धक्का-मुक्की के दौरान दूदाराम मंदिर की लोहे की जाली पर गिर गया था, जिससे उसे चोटें आई थीं, किन्तु इस सुझाव को मजरूब दूदाराम ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है तथा ऐसा कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त बचाव कथन की पुष्टि हो सके। दूसरी ओर, मजरूब की साक्ष्य स्वाभाविक, संगत एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित प्रतीत होती है। उक्त गवाहान के अतिरिक्त **पीडब्लू 10 सायरमल** की साक्ष्य भी अभियोजन प्रकरण को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त बींजाराम ने उसके दादाजी दूदाराम पर चाकू से वार किया था। गवाह ने यह भी बताया कि घटना के अगले दिन पुलिस द्वारा उसके समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी-08 तैयार किया गया तथा अभियुक्त की मोटरसाइकिल को फर्द जब्ती प्रदर्श पी-13 के माध्यम से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-09 भी उसके समक्ष तैयार किया गया था। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने यह स्वीकार किया कि संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें पढ़कर सुनाया गया था। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के दिन वह मौके पर उपस्थित था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसकी इस महत्वपूर्ण बात का प्रभावी खण्डन नहीं किया जा सका कि घटना के दिन वह घटनास्थल पर मौजूद था तथा घटना के संबंध में उसे प्रत्यक्ष जानकारी थी। उसके कथनों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास या विसंगति भी परिलक्षित नहीं होती जो उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाती हो।

उपरोक्त साक्ष्य से घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर **केवलराम, मोरकी, जमना बाई** का भी मजरूब दूदाराम के पास उपस्थित होना परिलक्षित होता है, परंतु उक्त तीनों गवाह न्यायालय के समक्ष क्रमशः **पीडब्लू 03, पीडब्लू 13 एवं पीडब्लू 16** के रूप में न्यायालय में परीक्षण के दौरान पक्षद्रोही हुए, जिन सभी गवाहान ने अभियोजन घटनाक्रम एवं मजरूब की साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है, परंतु इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत Gurdeep Singh Vs. State of Punjab, 2025 INSC 957 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं किः-

> "**18.** The third submission, which seeks to undermine the prosecution's case on the basis of hostile witnesses or minor inconsistencies, does not merit acceptance. As already noted, the prosecution case rests substantially on the testimony of PW.2 - the complainant and police escort - whose version remained consistent and unshaken. Although PW.1, another member of the police escort team, corroborated portions of PW.2's narrative, he turned hostile insofar as identification of the accused persons other than Kuldeep Singh is concerned. **It is a settled proposition of law that the evidence of a prosecution witness is not to be discarded in toto merely because the witness has turned hostile. Courts are entitled to rely upon any portion of such testimony which is found to be credible and corroborated by other evidence on record.**
>
> ***
>
> **18.7.** In the present case, although the appellant was not officially assigned to the escort duty undertaken by PW.1 and PW.2 on 30.11.2010, he was admittedly present at the court complex on the relevant day. **The partial hostility of PW. 1 regarding the identification of the accused, does not undermine the testimony of PW.2 who remained firm, consistent, and unshaken on all material particulars. His account of the events is further corroborated by medical evidence and the surrounding circumstances.** His description of the presence of unknown individuals, the seating arrangement in the vehicle, the appellant's inexplicable deviation from the designated route, and the subsequent attack by those individuals, is both detailed and coherent. **As already discussed, conviction can rest on the testimony of a sole eyewitness, provided the Court finds it trustworthy and corroborated by other evidence.** PW.2's evidence in the present case satisfies this threshold. **His status as an injured witness further enhances the reliability of his version."**

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह वैधानिक स्थिति उभरकर आती है कि अभियोजन साक्ष्य को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता कि किसी गवाह ने आंशिक रूप से पक्षद्रोह किया है अथवा उसमें कुछ असंगतियाँ/विरोधाभास पाए गए हैं, क्योंकि विधि का स्थापित सिद्धांत है कि hostile witness की साक्ष्य पूर्णतः निष्प्रभावी (washed off) नहीं हो जाती, बल्कि उसका वह भाग जो विश्वसनीय, स्वाभाविक तथा अन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो,

उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। साथ ही यह भी सुस्थापित है कि यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय, सुसंगत एवं भरोसेमंद हो तथा वह चिकित्सीय या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पुष्ट हो, तो केवल उसी के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, विशेषकर तब जब वह गवाह स्वयं घायल हो, क्योंकि घायल गवाह की उपस्थिति घटना स्थल पर स्वाभाविक मानी जाती है तथा उसकी साक्ष्य को सामान्यतः उच्च विश्वसनीयता प्राप्त होती है।

उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही गवाहान की साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करें तो गवाह पीडब्लू 03 केवलराम ने अपनी साक्ष्य में बताया कि वह घर जाकर बैठा तब मोहल्ले में आवाज आई कि दूदाराम बा को मार रहे हैं। फिर जाकर मौके पर देखा कि दूदाराम के पसलियों जगह-जगह लगी हुई थी। वह आया तब मौके पर बींजाराम नहीं था। दूदाराम अकेला ही बैठा था। पीडब्लू 13 मोरकी ने पूर्णतया पक्षद्रोही होकर अभियोजन अधिकारी की जिरह में सभी तथ्यों को गलत होना बताते हुए अभियोजन कहानी के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दी है। पीडब्लू 16 जमना बाई (मजरूब की पत्नी) ने मुख्य परीक्षण में बताया कि मुलजिम बींजाराम ने चाकू से मारा था। उस समय वह रसोई में खाना बना रही थी, फिर शोर सुनकर वह भी बाहर आई थी तब उसने देखा कि उसके पति दूदाराम नीचे गिरे हुए थे तथा बेहोश थे। उक्त तीनों गवाहान के अतिरिक्त एक अन्य गवाह पीडब्लू 08 अमराराम भी पक्षद्रोही हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह किसी काम से अपने दादा को बुलाने के लिए दादा के घर के पिछले दरवाते से गया तो उसने देखा कि उसके दादा के पेट में चाकू लगे हुए हैं तथा पूरे खून से भरे हुए थे और उसकी दादी बेहोश गिरी हुई थी, वहीं प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके सामने बींजाराम ने दूदाराम को चाकू नहीं मारा था, लेकिन बींजाराम उसके सामने से ही भागा था। यह भी स्वीकार किया कि उसने बींजाराम को दूदाराम के घर से 50 मीटर की दूरी पर देखा था तथा इसके साथ एक लड़का भी था।

इस प्रकार उपरोक्त विधिक स्थिति एवं संबंधित साक्ष्य से स्पष्ट है कि यद्यपि अभियोजन के कुछ गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही हुए हैं, तथापि मात्र इसी आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने से परिलक्षित होता है कि पक्षद्रोही हुए गवाहों ने भी घटना के तुरंत बाद दूदाराम को

गंभीर रूप से घायल एवं रक्तरंजित अवस्था में घटनास्थल पर पाया जाना स्वीकार किया है। विशेष रूप से पीडब्लू 03 केवलराम, पीडब्लू 16 जमना बाई तथा पीडब्लू 08 अमराराम की साक्ष्य से यह तथ्य पुष्ट होता है कि घटना के समय अथवा उसके तत्काल उपरान्त दूदाराम को गंभीर चाकूजनित चोटें लगी हुई थीं तथा घटनास्थल पर असामान्य एवं हिंसक घटना घटित हुई थी। हालांकि उक्त गवाहों ने अभियोजन घटनाक्रम का पूर्ण समर्थन नहीं किया अथवा अभियुक्त को स्वयं चोट पहुँचाते हुए देखने से इंकार किया है, परंतु उनकी साक्ष्य का वह भाग, जिसमें मजरूब की घायल अवस्था, घटनास्थल की परिस्थितियाँ तथा घटना के तुरन्त बाद की स्थिति का वर्णन है, अभियोजन की मूल कहानी के साथ संगत एवं सहायक है। विशेष रूप से पीडब्लू 16 जमना बाई ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से अभियुक्त बींजाराम द्वारा चाकू से वार किया जाना बताया है तथा पीडब्लू 08 अमराराम ने भी अभियुक्त को घटना के तुरन्त बाद घटनास्थल के निकट से जाते हुए देखने का कथन किया है। **दूसरी ओर, मजरूब पीडब्लू 01 दूदाराम स्वयं घटना का प्रत्यक्ष एवं घायल गवाह है,** जिसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **State of M.P. vs. Mansingh and Others,** (2003) 10 SCC 414 में यह मत अभिव्यक्त किया है किः- *"9. The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly. Merely because there was no mention of a knife in the first information report, that does not wash away the effect of the evidence tendered by the injured witnesses PWs 4 and 7. Minor discrepancies do not corrode the credibility of an otherwise acceptable evidence. The circumstances highlighted by the High Court to attach vulnerability to the evidence of the injured witnesses are clearly inconsequential."* इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है कि आहत (injured) गवाह की साक्ष्य का प्रमाणिक मूल्य अधिक होता है और जब तक कोई ठोस एवं बाध्यकारी कारण न हो, उसकी साक्ष्य को हल्के में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मामूली विसंगतियाँ किसी अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य की सत्यता को प्रभावित नहीं करतीं। हस्तगत प्रकरण में भी, जैसा की पूर्व में विवेचित किया जा चुका है, मजरूब दूदाराम की घटनास्थल पर उपस्थिति निर्विवाद एवं स्वाभाविक है। उसकी साक्ष्य घटना के संबंध में सुसंगत, स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण तथ्यों पर अडिग रही है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिरक्षा पक्ष अभिलेख पर नहीं ला सका है। उसकी साक्ष्य को घटना के तुरन्त बाद की परिस्थितियों, अन्य गवाहों द्वारा देखी गई उसकी रक्तरंजित एवं घायल अवस्था से पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है।

उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यदि चिकित्सकीय साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो गवाह पीडब्लू 17 डॉ. अमूल गुप्ता की साक्ष्य अभियोजन प्रकरण को महत्वपूर्ण समर्थन एवं पुष्टिकरण प्रदान करती है। उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मजरूब दूदाराम को दिनांक 16.03.2018 को गंभीर अवस्था में जोधपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके सीने (Chest) एवं पेट (Abdomen) पर चाकू जैसी नुकीली वस्तु से कारित चोटें थीं। गवाह के अनुसार मजरूब की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसे तत्काल आईसीयू में भर्ती करना पड़ा तथा उसी रात्रि उसकी शल्य चिकित्सा (Surgery) भी की गई। चिकित्सकीय अभिलेख प्रदर्श पी-23 से पी-27 भी उक्त तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मजरूब को पेट की आंतों तक गंभीर चोटें पहुँची थीं। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-23 में चाकू से चोट लगना मजरूब के परिजनों द्वारा बताई गई हिस्ट्री के आधार पर अंकित किया गया था तथा सैद्धान्तिक रूप से लोहे की जाली पर गिरने से भी ऐसी चोटें आना संभव हो सकता है, परंतु यह तथ्य अपने आप में प्रतिरक्षा पक्ष के कथन को सिद्ध नहीं करता। चिकित्सक ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि हस्तगत मामले में मजरूब को वास्तविक रूप से जाली पर गिरने से ही चोटें लगी थीं। इसके विपरीत अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि मजरूब को शरीर के संवेदनशील भागों, विशेषकर छाती एवं पेट पर गंभीर भेदनकारी (penetrating/stab) चोटें लगी थीं, जिनके कारण उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा तथा शल्य चिकित्सा करनी पड़ी। अतः डॉ. अमूल गुप्ता की साक्ष्य तथा प्रदर्श पी-23 से 27 तक के चिकित्सकीय दस्तावेज मजरूब दूदाराम की मौखिक साक्ष्य का महत्वपूर्ण समर्थन एवं पुष्टिकरण करते हैं।

साक्ष्य श्रृंखला की अगली कड़ी परिस्थितिजन्य साक्ष्य से है, जिनमें **गवाह पीडब्लू 05 गुणेशराम** फर्द जब्ती खंजर/चाकू प्रदर्श पी 02, फर्द जब्ती खून आलूंदा फर्श व सादा फर्श का टुकड़ा प्रदर्श पी-03 व 04 तथा फर्श पर गिरे खून का रूई से लेने की फर्द प्रदर्श पी 05 का गवाह है। पीडब्लू 15 डॉ. इमरान खिलेरी मजरूब दूदाराम के खून का सैंपल कप में लेने बाबत् फर्दें प्रदर्श पी 19 व 20 के संबंध में साक्ष्य दी है। **पीडब्लू मुश्तकिम** नक्शा मौका प्रदर्श पी-02 तथा **पीडब्लू-08 हाजी मोहम्मद** फर्द सुपुर्दगी खूल आलूंदा शर्ट प्रदर्श पी-04 के साक्षी हैं, जिन्होंने मुख्य परीक्षण में उक्त फर्दों की ताईद की है तथा प्रतिपरीक्षण में भी इनकी साक्ष्य अखण्डित रही है।

पुलिसकर्मी गवाह **पीडब्लू 09 नीतीश** नफर्द गिरफ्तारी बींजाराम प्रदर्श पी 11 व फर्द जब्ती अभियुक्त बींजाराम के पहना हुआ खून आलूंदा शर्ट प्रदर्श पी 12 का गवाह है। **पीडब्लू 11 दिनेश कुमार** रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 14, पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15, एसपी आफिस पाली का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 16 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 17 के संबंध में साक्ष्य दी है। **पीडब्लू 12 सुरेंद्र कुमार** मार्कशुदा पैकेट्स को एफएसएल, जोधपुर पहुचांने का गवाह है, जिसने उपरोक्त सभी फर्दों क्रमशः प्रदर्श पी 11, 12, 14, 15, 16 व 17 के संबंध में साक्ष्य दी है। **पीडब्लू 14 देवीसिंह,** तत्कालीन मालखाना इन्चार्ज है, जिन्होंने मार्कड् सामग्री एफएसएल हेतु भिजवाने से संबंधी फर्दों प्रदर्श पी 14, 15, 16 व 17 के संबंध में तथा मालखाना रजिस्टर क्रमांक 308-2018 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 22 के संबंध में साक्ष्य दी है। गवाह **पीडब्लू 18 हुकमगिरी** अनुसंधान अधिकारी, जिसने पीडब्लू 18 अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में बताया कि दिनांक 17.03.2018 को प्रदर्श पी-07 रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने धारा 307 भा.दं.सं. के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अपराध विवरण फार्म, नक्शा मौका एवं हालात मौका (प्रदर्श पी-01) तैयार किया गया तथा घटनास्थल से खून से सना हुआ चाकू (प्रदर्श पी-02), खून आलूंदा सीमेंट-कंक्रीट, सादा सीमेंट-कंक्रीट एवं खून से सनी रूई (प्रदर्श पी-03 से पी-05) जब्त की गई। इसके अतिरिक्त गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा मजरूब के उपचार संबंधी दस्तावेज (प्रदर्श पी-23 से पी-27) एवं घटनास्थल के फोटोग्राफ (प्रदर्श पी-28 से पी-35) पत्रावली में शामिल किए गए। अभियुक्त बींजाराम को दिनांक 19.03.2018 को गिरफ्तार कर उसके पहने हुए खून आलूंदा शर्ट को प्रदर्श पी-12 के तहत जब्त किया गया। अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर घटनास्थल की तस्दीक (प्रदर्श पी-08) तथा घटना के बाद प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी (प्रदर्श पी-13) की गई। जब्तशुदा समस्त वस्तुओं को एफएसएल जांच हेतु भेजा गया तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-40 प्राप्त हुई। **प्रतिपरीक्षण** में अनुसंधान अधिकारी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय मजरूब उपस्थित नहीं था तथा घटनास्थल एक आबाद क्षेत्र में स्थित था। उसने यह भी स्वीकार किया कि बरामद चाकू जैसा चाकू बाजार में उपलब्ध हो सकता है तथा अभियुक्त का रक्त नमूना नहीं लिया गया था।

उपरोक्त पुलिसकर्मी गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि अनुसंधान के दौरान की गई विभिन्न वैधानिक कार्यवाहियों, जैसे अभियुक्त की गिरफ्तारी, उसके पहने हुए खून आलूंदा शर्ट की जब्ती, जब्तशुदा वस्तुओं को मालखाना में जमा करना, उन्हें विधिवत एफएसएल परीक्षण हेतु प्रेषित करना तथा एफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट को पत्रावली में सम्मिलित करना, का पर्याप्त प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध है। पीडब्लू 09 नीतीश, पीडब्लू 11 दिनेश कुमार, पीडब्लू 12 सुरेन्द्र कुमार तथा पीडब्लू 14 देवीसिंह की साक्ष्य परस्पर एक-दूसरे का समर्थन करती है तथा जब्तशुदा वस्तुओं की अभिरक्षा (chain of custody) एवं उनके सुरक्षित रूप से एफएसएल तक पहुँचाए जाने के तथ्य को स्थापित करती है। इसी प्रकार अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू 18 हुकमगिरी की साक्ष्य से घटनास्थल निरीक्षण, भौतिक साक्ष्यों की जब्ती, अभियुक्त की गिरफ्तारी, चिकित्सकीय दस्तावेजों के संकलन तथा एफएसएल जांच जैसी महत्वपूर्ण अनुसंधानात्मक कार्यवाहियों का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। प्रतिपरीक्षण में यद्यपि अनुसंधान अधिकारी से कुछ सामान्य प्रकृति की कमियां एवं त्रुटियां इंगित की गई हैं, जैसे घटनास्थल का आबाद क्षेत्र में होना, बरामद चाकू जैसा चाकू बाजार में उपलब्ध होना तथा अभियुक्त का रक्त नमूना नहीं लिया जाना, तथापि ऐसी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि अभिलेख पर नहीं आई है जिससे अभियोजन के मूल घटनाक्रम अथवा जब्तशुदा साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अतः उक्त पुलिसकर्मी गवाहों की साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि प्रकरण में अनुसंधान की आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियां विधिवत संपादित की गई थीं तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं भौतिक साक्ष्यों का संकलन, संरक्षण एवं परीक्षण विधिसम्मत रूप से किया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 16.03.2018 को ग्राम मांडावास में मजरूब दूदाराम को गंभीर चाकूजनित चोटें कारित हुई थीं, जिनके कारण उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कर शल्य चिकित्सा करनी पड़ी। मजरूब पीडब्लू 01 दूदाराम की प्रत्यक्ष एवं घायल साक्ष्य स्वाभाविक, सुसंगत एवं विश्वसनीय प्रतीत होती है तथा उसे अन्य गवाहों द्वारा घटना के तुरन्त बाद देखी गई घायल अवस्था, पक्षद्रोही गवाहों की आंशिक पुष्टिकारक साक्ष्य, चिकित्सकीय दस्तावेजों तथा अनुसंधान के दौरान संकलित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि अभियुक्त बींजाराम घटना के

समय घटनास्थल के आसपास उपस्थित था तथा घटना के तुरन्त पश्चात वहाँ से चला गया। घटनास्थल से खून से सना चाकू बरामद होना, मजरूब के शरीर पर पाई गई गंभीर भेदनकारी चोटें, अभियुक्त के पहने हुए कपड़ों का जब्त किया जाना तथा सम्पूर्ण अनुसंधानात्मक कार्यवाहियों का विधिवत संपादित होना अभियोजन संस्करण को और अधिक बल प्रदान करता है। प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत यह कथन कि मजरूब मंदिर की लोहे की जाली पर गिरने से घायल हुआ था, अभिलेख पर उपलब्ध किसी स्वतंत्र, विश्वसनीय अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो सका है तथा यह बचाव कथन मात्र संभावना के स्तर से आगे नहीं बढ़ पाता। **फलस्वरूप यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्त बींजाराम ने मजरूब दूदाराम को चाकू से चोटें कारित की थीं।**

अब विचारणीय प्रश्न यह शेष रहता है कि घटना की समस्त परिस्थितियों, चोटों की प्रकृति, वारों की संख्या, प्रयुक्त हथियार तथा अभियुक्त के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए क्या अभियुक्त का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयास की कोटि में आता है अथवा किसी अन्य उपयुक्त दण्डनीय अपराध के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो महत्वपूर्ण गवाह स्वयं मजरूब पीडब्लू 01 दूदाराम ही है, जिसकी साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त बींजाराम ने अचानक उस पर चाकू से एकाधिक वार किए थे, जिनसे उसके पेट, बगल एवं पसलियों पर चोटें आईं। मजरूब ने यह भी स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त ने उस पर जान से मारने की नीयत से वार किए थे, परंतु किसी गवाह द्वारा अभियुक्त की "नीयत" के संबंध में व्यक्त किया गया मत अपने आप में निर्णायक नहीं होता, बल्कि अभियुक्त के वास्तविक आशय अथवा ज्ञान का निर्धारण न्यायालय को घटना की समस्त परिस्थितियों, प्रयुक्त हथियार, चोटों की प्रकृति, वार किए जाने के तरीके, शरीर के प्रभावित अंगों तथा घटना से पूर्व एवं पश्चात अभियुक्त के आचरण के आधार पर करना होता है। हस्तगत प्रकरण में यद्यपि अभियुक्त द्वारा चाकू जैसे धारदार हथियार का प्रयोग किया जाना तथा मजरूब को पेट एवं छाती के समीपवर्ती भागों पर गंभीर चोटें पहुँचाना सिद्ध हुआ है, परंतु अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त ने बार-बार प्राणघातक ढंग से तब तक वार किए हों जब तक मृत्यु सुनिश्चित न हो जाए, अथवा घायल के अचेत हो जाने के बाद भी उस पर हमला जारी रखा हो। यह भी अभिलेख पर नहीं है

कि अभियुक्त ने घटना के समय कोई ऐसी उद्घोषणा या व्यवहार किया हो, जिससे उसकी मृत्यु कारित करने की स्पष्ट एवं निश्चयात्मक मंशा परिलक्षित होती हो। अतः अभियुक्त की आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण करते समय न्यायालय को केवल चोटों के परिणाम को नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को भी देखना होगा जिनमें चोटें कारित की गईं। यदि उपलब्ध साक्ष्य से मृत्यु कारित करने का स्पष्ट आशय (intention to cause death) संदेह से परे सिद्ध नहीं होता, किन्तु यह अवश्य सिद्ध होता है कि अभियुक्त को अपने कृत्य से मृत्यु कारित होने की संभावना का ज्ञान था, तो ऐसी स्थिति में अपराध की विधिक प्रकृति का पृथक परीक्षण अपेक्षित होगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **Charanjeet versus State** (NCT OF DELHI) [2025 Supreme (Online) (Del) 7275 2025 DHC 9594] में यह मत अभियुक्त किया है किः-

> **"17.** In the present case, as per the injured's own deposition, he was previously acquainted with the appellant. They were on visiting terms and were having money transactions with each other. So, the appellant coming to the injured, asking for money, was by itself not out of the ordinary. It is not the case that the appellant came with premediated intent to stab the injured and deprive him of his money. In fact, it is not even the prosecution case that the appellant took any money from the injured after stabbing him, despite the scuffle relating to money. Thus, an overall view of the facts and circumstances would show that though the appellant did not have the intention of causing death, he can be attributed the knowledge that he was, likely by such act, to cause death.
>
> **18.** Supreme Court in Tukaram Gundu Naik v. State of Maharashtra3, in a case where there were multiple incise wounds over epigastric region, elbow, back and side, noting that the act occurred suddenly in a scuffle, converted the sentence from that under Section 307 IPC to Section 308 IPC.
>
> 19. A Co-ordinate Bench of this Court in Atul Chandra Dass v. State4 , in a case where a quarrel took place over Rs. 200/- and injuries were caused on the neck with a surgical blade, while modifying the conviction from Section 307 to Section 308 IPC, held as follows: -
>
>> *"7. For dealing with the contention of the learned counsel for the Appellant that from the facts proved an offence under Section 307 IPC is not made out, it will have to be seen from the facts of the present case whether the Appellant can be said to be possessed of the said intention necessary for constituting the offence punishable U/s 307 IPC or not. In Ratan Singh v. State of M.P., (2009) 12 SCC 585, their Lordship's held that whether the accused is possessed of the intention to commit an offence punishable under Section 307 IPC or not has to be gathered from the facts and circumstances surrounding the offence. In the present case*

the admitted position is that the quarrel ensued between the Appellant and PW2 on the issue of money, when PW1 also intervened. In such a situation it cannot be said that the Appellant came with a premeditated mind for the offence of attempt to commit murder. The quarrel was going on only verbally and when the Appellant fell on the door of the closed shutter of the shop. It is then that he immediately got up and gave a surgical blade blow injury to PW1. From this it can be inferred that the infliction of the blade injury was instant and not preplanned and motivated. Thus, it cannot be said that the Appellant had caused the injury with the intention to commit murder of PW1. The Appellant certainly had the knowledge that the injury caused by the Appellant could cause death of PW1 as he inflicted the surgical blade blow on the neck of PW1. From the facts proved, it can safely be inferred beyond reasonable doubt that the Appellant inflicted the injury with an intention to commit culpable homicide not amounting to murder and is thus liable to be convicted for offence punishable under Section 308 IPC."

20. In the present case, in view of the factual matrix and prevailing position in law as discussed in the preceding paras, this court deems it fit to modify the conviction of the appellant from that under Section 307 IPC to Section 308 IPC. The conviction under the Arms Act is maintained."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह वैधानिक स्थिति उभरकर आती है कि किसी अभियुक्त को धारा 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध करने के लिए मात्र गंभीर चोटों का कारित होना अथवा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से मृत्यु कारित करने का विशिष्ट आशय (intention to cause death) अथवा ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय सिद्ध हो, जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। अभियुक्त की नीयत का निर्धारण घटना की समस्त परिस्थितियों, घटना के कारण, पूर्व नियोजन (premeditation) की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, विवाद की प्रकृति, वार करने के तरीके तथा घटना के पूर्व एवं पश्चात अभियुक्त के आचरण को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रतीत हो कि घटना अचानक उत्पन्न परिस्थितियों अथवा तत्कालिक विवाद के परिणामस्वरूप घटित हुई थी तथा अभियुक्त द्वारा कारित चोटों से मृत्यु की संभावना का ज्ञान (knowledge) तो सिद्ध होता है, किन्तु मृत्यु कारित करने का स्पष्ट एवं निश्चयात्मक आशय (intention) संदेह से परे सिद्ध नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में अपराध धारा 307 भा.दं.सं. के स्थान पर धारा 308 भा.दं.सं. के अंतर्गत आ सकता है।

उपरोक्त वैधानिक स्थिति में हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अभियुक्त बींजाराम एवं मजरूब दूदाराम एक-दूसरे से पूर्व परिचित एवं एक ही गांव के निवासी थे। स्वयं मजरूब की साक्ष्य से यह तथ्य उभरकर आता है कि घटना के पूर्व अभियुक्त को गाली-गलौच नहीं करने की समझाइश देने को लेकर दोनों पक्षों के मध्य मनमुटाव विद्यमान था। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त पूर्व नियोजित योजना (premeditated plan) बनाकर अथवा किसी विशेष तैयारी के साथ मजरूब की हत्या करने के उद्देश्य से घटनास्थल पर पहुंचा था, न ही अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य सिद्ध किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त का एकमात्र उद्देश्य मजरूब की मृत्यु कारित करना ही था। यद्यपि यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त ने चाकू जैसे धारदार हथियार से मजरूब के पेट, बगल एवं पसलियों के क्षेत्र में वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं तथा शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी, तथापि उपलब्ध साक्ष्य से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि अभियुक्त ने लगातार अथवा निर्ममतापूर्वक तब तक वार किए हों जब तक मृत्यु सुनिश्चित न हो जाए। अभिलेख पर यह भी नहीं है कि मजरूब के अचेत हो जाने के पश्चात अभियुक्त ने पुनः कोई हमला किया हो अथवा उसे मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से किसी प्रकार की अतिरिक्त कार्रवाई की हो। इसी प्रकार अभियुक्त द्वारा घटना के समय या उसके पूर्व कोई ऐसी उद्घोषणा अथवा धमकी दिए जाने का भी विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे मृत्यु कारित करने की स्पष्ट एवं निश्चयात्मक मंशा का निष्कर्ष निकाला जा सके। हालांकि, न्यायालय इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकता कि अभियुक्त ने चाकू जैसे घातक हथियार का प्रयोग किया तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के निकट वार किए, जिसके परिणामस्वरूप मजरूब को गंभीर एवं जीवन के लिए संभावित रूप से संकटकारी चोटें आईं। अतः यह अवश्य कहा जा सकता है कि अभियुक्त को अपने कृत्य के संभावित परिणामों का ज्ञान था तथा वह यह जानता था कि ऐसे कृत्य से मजरूब की मृत्यु भी हो सकती है। अतः समस्त परिस्थितियों, पक्षकारों के मध्य विद्यमान विवाद की प्रकृति, पूर्व नियोजन के अभाव, घटना के तरीके, अभियुक्त के आचरण तथा अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन के आधार पर इस न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध मृत्यु कारित करने के विशिष्ट आशय (intention to cause death) को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है, किन्तु यह अवश्य सिद्ध करने में सफल हुआ है कि अभियुक्त को अपने कृत्य से मृत्यु कारित होने की संभावना का ज्ञान था। फलस्वरूप

अभियुक्त का कृत्य धारा 307 भा.दं.सं. के बजाय धारा 308 भा.दं.सं. के अंतर्गत अधिक उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत प्रतीत होता है।

9. अब जहां तक अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का प्रश्न है, जिसमें अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि क्या आपने एक चाकू जिसके फल की लंबाई 7.5 ईंच व चौड़ाई 2 सेमी थी, अपने आधिपत्य में रखकर मजरूब दूदाराम के साथ मारपीट की व उक्त चाकू को मजरूब के पेट में डालकर भाग गये, जिसे अपने आधिपत्य में रखने एवं परिवहन करने का आपके पास वैध अनुज्ञ पत्र व लाईसेंस नहीं था?

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में बरामदशुदा चाकू घटनास्थल से बरामद किया गया है, न कि अभियुक्त के कब्जे से। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रकरण में धारदार चाकू दिनांक 17.03.2018 को 3.25 पीएम पर मजरूब के घर के सामने पड़ा होने से जब्त किया जाना बताया गया है। जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है, अभियुक्त बींजाराम के विरुद्ध यह प्रमाणित हुआ है कि उसने मजरूब दूदाराम पर चाकू से हमला कर उसके पेट, बगल एवं पसलियों पर गंभीर चोटें पहुँचाईं और प्रकरण में प्रयुक्त चाकू घटनास्थल से ही खून से सना हुआ बरामद हुआ है, जैसा कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी-02 से स्पष्ट है। घटनास्थल की फोटोग्राफ (प्रदर्श पी-31) तथा एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-40) से भी उक्त चाकू पर मानव रक्त की उपस्थिति प्रमाणित होती है, जिससे यह तथ्य पुष्ट होता है कि यह वही हथियार है, जिसका उपयोग घटना में किया गया था। अभियुक्त पक्ष की ओर से इस संदर्भ में कि उक्त चाकू अभियुक्त के कब्जे का नहीं था या उसके द्वारा उक्त चाकू का प्रयोग नहीं किया गया, कोई ठोस प्रतिपरक्षा नहीं ली गई है। अतः समस्त मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त चाकू अभियुक्त द्वारा घटना के समय उपयोग में लिया गया घातक हथियार था, जो उसके सचेत कब्जे एवं नियंत्रण में रहकर घटना के दौरान प्रयुक्त हुआ और घटना के पश्चात घटनास्थल पर छोड़ दिया गया। इसलिए विधिक दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि हथियार अभियुक्त के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर था; बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि घटना के समय वह अभियुक्त के ज्ञान एवं नियंत्रण में था, जिसके कारण धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अवयव भी पूर्णतः सिद्ध होते हैं।

10. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य में यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त बींजाराम ने दिनांक 16.03.2018 को शाम करीबन 06.00-06.30 बजे के मध्य ग्राम मांडावास, तहसील रोहट में आए हुए मजरूब दूदाराम के घर के पास उसकी हत्या करने के आशय से उसके पेट इत्यादि स्थानों पर चाकू से इन परिस्थितियों में अनेक वार किए जिनसे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के अपराध में दोषी होते, परंतु यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त बींजाराम ने दिनांक 16.03.2018 को शाम करीबन 06.00-06.30 बजे के मध्य ग्राम मांडावास, तहसील रोहट में मजरूब दूदाराम के घर के पास उसके साथ चाकू जैसे धारदार हथियार से ऐसे आशय या जानकारी के साथ ऐसी परिस्थितियों में उसके सीने, पेट आदि स्थानों पर गंभीर प्राणघातक चोटें पहुंचाई, जिनसे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता तथा अभियुक्त ने उक्त घटना में प्रयुक्त चाकू, जिसके फल की लंबाई 7.5 ईंच व चौड़ाई 2 सेमी थी, अपने आधिपत्य में रखकर मजरूब दूदाराम के साथ मारपीट की व उक्त चाकू को मजरूब के पेट में डालकर भाग गये, जिसे अपने आधिपत्य में रखने एवं परिवहन करने का अभियुक्त के पास वैध अनुज्ञ पत्र व लाईसेंस नहीं था। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 308 भा.दं.सं. एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11. परिणामतः अभियुक्त **बीजाराम पुत्र भगवानराम,** उम्र 35 वर्ष, निवासी- मांडावास थाना रोहट, जिला पाली (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा **308** भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं **4/25** शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

12. निर्णय आज दिनांक **11.06.2026** को बाद टंकण खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः- राजेन्द्र कुमार, आरजेएस,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या - 107/2018

CNR Number - **RJPL010009852018**

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

बनाम

बीजाराम पुत्र भगवानराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी- मांडावास थाना रोहट, जिला पाली (राज.)

.......अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 308 भारतीय दंड संहिता एवं 4/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थितः-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित लोक अभियोजक।
2. श्री रामलाल भाटी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

दिनांकः- 11.06.2026

आदेश **समय** 12.00 PM

01. सजा के प्रश्न पर सिद्धदोष अपराधी, अधिवक्ता अपराधी एवं लोक अभियोजक को सुना गया। योग्य अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि घटना के समय अभियुक्त की आयु 35 वर्ष थी, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त नव युवक था। अभियुक्त पिछले लगभग 08 साल से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त व मजरूब एक ही गांव के हैं तथा अभियुक्त काफी समय अभिरक्षा में रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्ध नहीं है, उसका प्रथम अपराध है। अतः नरमी का रूख अपनाने का निवेदन किया।

02. योग्य लोक अभियोजक ने अभियुक्त द्वारा मजरूब पर चाकू जैसे धारदार हथियार से उसकी छाती, पेट आदि जगहों पर वार करने एवं उसके शरीर पर गंभीर प्रकृित की प्राणघातक चोटें कारित करने के अपराध हेतु कठोरतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया।

03. हमने सजा के बिन्दु पर विचार किया। अभियुक्त अपराध के समय 35 वर्ष का होकर नव युवक था। अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। अभियुक्त पिछले 08 साल से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त ने धारदार हथियार चाकू से मजरूब की छाती पर पेट आदि पर वार कर उसे प्राणघातक चोटें कारित की हैं। अतः मामले के समस्त

तथ्यों, अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों एवं दण्ड के प्रावधानों को देखते हुए दोषसिद्ध अपराधी को दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं परिवादी/मजरूब को धारा 357 दं.प्र.सं. के तहत मुआवजा दिलाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

04. उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप सिद्धदोष अपराधी **बीजाराम पुत्र भगवानराम,** उम्र 35 वर्ष, निवासी- मांडावास थाना रोहट, जिला पाली (राज.) को निम्न दंड से दंडादिष्ट किया जाता हैः-

क्र.सं.	अपराध अंतर्गत धारा	कारावास	जुर्माना	अदम अदायगी जुर्माना कारावास
01.	308 भा.दं.सं.	03 वर्ष का साधारण कारावास	25,000/- रुपये	06 माह का साधारण कारावास
02.	4/25 आर्म्स एक्ट	01 वर्ष का साधारण कारावास	5,000/- रुपये	01 माह का साधारण कारावास

05. सभी मूल सजायें साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा दौराने अनुसंधान व अन्वीक्षा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान अनुसार मूल सजा में समायोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त पर अभिरोपित अर्थदण्ड की राशि बाद गुजरने मियाद अपील मजरूब उदाराम को प्रतिकर के रूप में दी जाए। मजरूब को उक्तानुसार प्रदान किया गया प्रतिकर न्यायालय के मत में पर्याप्त होने से न्यायालय द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत अनुशंषा नहीं की जा रही है। सजा वारंट तैयार किया जाए। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अभियुक्त के इस न्यायालय में उपस्थिति हेतु जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी प्रकरण में वजह सबूत बरामदाशुदा मालखाना/सामग्री नष्ट करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

06. आदेश आज दिनांक **11.06.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.24 09:26:59 IST